न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 71/2020 RCMS No.–2020/00137

भगवान सहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री रेवडमल शर्मा दत्तक पुत्र स्व. श्री रामनिवास शर्मा, जाति ब्राहम्ण, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी–ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. कल्याण सहाय शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 30.09.2019 न्यायालय अध्यक्ष/प्रधान प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ जिसके द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत डांगरवाडा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 07.12.1981 को अपास्त/खारिज किया गया तथा पट्टे से संबंधित भूमि को कब्जेराज लेने का आदेश पारित किया गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्री कृष्ण शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से ।

———————

निर्णय दिनांकः 13.11.2020

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी अध्यक्ष/प्रधान प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत डांगरवाडा द्वारा जारी पट्टे को अपील संख्या 13/2016 में आदेश दिनांक 30.09.2019 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 23.10.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण को जारी कर तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विकास अधिकारी पं. स. जमवारामगढ के पत्रांक 4969 दिनांक 03.11.2020 द्वारा मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रांक 21 दिनांक 03.11.2020 द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील पक्षकारान द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसल की गई एवं वकील पक्षकारान की मौखिक बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता के आवेदन पर निगरानीकर्ता की कब्जेशुदा भूमि पर दिनांक 07.12.1981 को नियमानुसार पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए विधिवत पट्टा संख्या 15जारी किया गया था। तभी से निगरानीकर्ता पट्टे की भूमि का भौतिक एवं वास्तविक रूप से काबिज होकर निरन्तर 40 वर्षो से उपयोग उपभोग कर रहा है किन्तु ग्राम

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

डांगरवाडा में रहने वाले विपक्षी संख्या 1 कल्याण सहाय शर्मा ने पट्टा जारी करने की दिनांक से 30 वर्ष पश्चात उक्त पट्टे को चुनौती देते हुये मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किये बिना वर्ष 2019 में एक अपील प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे उक्त प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ ने स्वीकार कर दिनांक 30.09.2019 को आदेश पारित कर दिया गया और निगरानीकर्ता के हित में जारी पट्टे दिनांक 07.12.1981 को अपास्त कर पट्टे वाली भूमि को कब्जेराज लेने का आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 20.10.2020 को होने पर अविलम्ब माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 61 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान को पूरी तरह से अनदेखा कर 40 वर्ष पश्चात की गई अपील को स्वीकार कर गंभीर कानूनी भूल कारित की है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा विलम्ब उपमर्षण हेतु ना तो कोई प्रार्थना पेश किया और अधीनस्थ न्यायालय ने विलम्ब के बिन्दू पर अपने निर्णय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि निगरानीकर्ता के प्राकृतिक पिता का नाम रेवडमल शर्मा है तथा दत्तक पिता का नाम रामनिवास शर्मा है, इस संबंध में निगरानीकर्ता ने सिविल न्यायालय जयपुर के समक्ष लम्बित वाद में भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रेवडमल शर्मा दत्तक पुत्र स्व. रामनिवास शर्मा के नाम से अभिवचन किये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा कर तानाशाही तरीके से निर्णय पारित किया है। सिविल न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में न्यायालय श्रीमान द्वारा पट्टेशुदा भूमि के संबंध में अन्तरिम आदेश भी निगरानीकर्ता के पक्ष में पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 40 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को मात्र इस आधार पर खारिज फरमा दिया गया कि भगवान सहाय पुत्र रामनिवास नाम का व्यक्ति ग्राम डांगरवाडा में नहीं है, जबकि निगरानीकर्ता के दत्तक पिता रामनिवास है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 की कतई पालना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में पट्टें को फर्जी व कुटरचित होने का निष्कर्ष निकाला जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेजात के बारे में यह उपधारणा करने का प्रावधान है कि 30 वर्ष पुराने दस्तावेज सम्यक रूप से निष्पादित व अनुप्रमाणित माने जायेगें बशर्त कि दस्तावेज उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किये गये हो। प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा अपने निर्णय में न तो प्रकरण संख्या अंकित की और न ही प्रकरण का उनवान अंकित किया बल्कि यांत्रिक रूप से निर्णय पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि पारित निर्णय न्यायिक विवेक से परे है, लिहाजा निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गयी निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

अपील बउनवानी कल्याणसहाय बनाम भगवान सहायमें पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 खारिज किया जाकर निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत डांगरवाडा द्वारा जारी पट्टा विलेख बहाल फरमाया जावे। .वकील निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान 2014(1) **WLC (SC) Civil 695** एवं अन्य दस्तावेज पेश किए गए, जो शामिल मिसल किए गए।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया गया है। ग्राम पंचायत डांगरवाडा से प्राप्त जवाब अनुसार निगरानीकर्ता को जारी पट्टे से संबंधित कोई दस्तावेज/पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि को सार्वजनिक उपयोग उपभोग करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में पारित किया गया है। ग्राम पंचायत में निगरानीकर्ता को जारी पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय में निगरानीकर्ता एवं ग्राम पंचायत डांगरवाडा के मध्य लम्बित वाद अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद है,जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता भगवान सहाय के पिता रेवडमल है। प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली मय उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि अध्यक्ष/प्रधान प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.09.2019 को अपील बउनवानी कल्याण सहाय बनाम भगवान सहाय में ग्राम पंचायत डांगरवाडा द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में आदेश दिनांक 07. 12.1981 की अनुपालना में जारी किये गये पट्टा संख्या 15 को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 में मियाद के बिन्दु पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 अनुसार पंचायत के किसी आदेश के विरूद्व पंचायत समिति में पेश की गई अपील में मियाद के बिन्दु का तय सीमा में निर्धारण किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में भगवान सहाय पुत्र रामनिवास शर्मा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम डांगरवाडा में नहीं रहना बताया है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा पेश किए गए सजरा खानदान एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर निगरानीकर्ता भगवान सहाय दत्तक पुत्र रामनिवास होना जाहिर होता है। ग्राम पंचायत डांगरवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे संबंधी कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जबकि माननीय सिविल न्यायालय में लम्बित वाद बउनवानी भगवान सहाय बनाम ग्राम पंचायत डांगरवाडा की आदेशिका दिनांक 05.03.2016 अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा मूल पट्टा सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2016 द्वारा पट्टे से संबंधित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी एवं मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 23.09.2016 नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 09.09.2016 के पश्चात निगरानीकर्ता के पट्टे संबंधी भूमि के मौका निरीक्षण संबंधी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.05.2016 की अन्य रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विरोधाभासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीधीन निर्णय दिनांक 30.09.2019 पारित करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के विधिक प्रावधानो की पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अध्यक्ष/प्रधान प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा अपील बउनवानी कल्याण सहाय बनाम भगवान सहाय में पारित आदेश दिनांक 30.09.2019 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested